OPM/20010/2015
21.05.2015

सेवा में,

भारत सरकार 42 21-5-15 (stamp)

दिनाँक 19/05/15

25/20/5

जन सूचना अधिकारी (RTI)
प्रकाशन विभाग दिल्ली
110054.

OPM ₹10-10/-

विषय -: जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मुक्त "रद्दी कागज" निविदा व अनुबंध के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने हेतु।

महोदय,

Sh. Mishra

कृपया जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मुक्त रद्दी कागज "निविदा व अनुबंध के संदर्भ में निम्न जानकारी उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध है।

21/5/15 Gen.

1.] वर्ष 2014 को आमंत्रित "निविदा फार्म" दस्तावेज" में अनुबंध की समयावधि क्या थी।

Gen. 2.] क्या वर्ष 2014 को आमंत्रित निविदा के निविदा फार्म में 6000 क्विंटल "A" कैटगरी "रद्दी कागज की मात्रा का उल्लेख नियम एवंम शर्तों में था।

Gen. 3.] निविदा आमंत्रित किये जाने के पश्चात जिस पार्टी को "A" कैटगरी रद्दी कागज के लिये अनुबंध दिया गया था। उस पार्टी से किये गये कानूनी एग्रीमेंट दस्तावेज में भी "A" कैटगरी रद्दी कागज की 6000 क्विंटल मात्रा का उल्लेख एग्रीमेंट कि किसी शर्तें या नियम में किया गया था।
यदि उत्तर हाँ है तो कृपया एग्रीमेंट कि किस शर्तें या नियम में इसका उल्लेख किया गया है।

P.T.O

यदि उत्तर हाँ है तो कृपया बतायें कि समयावधि के सम्बंध में उस पार्टी के क्या प्रश्न तथा एतराज थे।

आपके द्वारा अनुबंध कि समयावधि किस आधार पर तय कि थी।

क्या निविदा फार्म में अनुबंध की समयावधि सपष्ट थी।

Gen. 9] जिस पार्टी से "A" कैटगरी "रद्दी कागज" के लिये कानूनी एग्रीमेंट किया है उसमें दर्ज अनुबंध की समयावधि तथा निविदा फार्म में दर्ज समयावधि दोनों एक ही है।

Gen. 10.] क्या पार्टी द्वारा "A" कैटगरी रद्दी कागज तुलाई करने के संदर्भ में कुछ एतराज/प्रश्न/शिकायत दर्ज कि थी।
यदि उत्तर हाँ है तो कृपया वह शिकायत/प्रश्न/एतराज क्या थे वह बतायें।

Gen. 11] वर्ष 2014 में प्रकाशन विभाग द्वारा आमंत्रित निविदा फार्म के नियम एवम शर्तों अनुसार आमंत्रित निविदा में आई दरें (सभी पार्टियों की) कितने दिनों तक वैध थी।

Gen. 12.] क्या जिस पार्टी को यह अनुबंध आवंटित किया गया था उसके द्वारा निविदा में दी गई दरों की वैधता समयसीमा बीत जाने के पश्चात उस पार्टी को अनुबंध का आफर EMD रद्द करने जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए किया गया था।

13]. क्या विभाग द्वारा पार्टियों से निविदा में दर्ज अपनी दरों की वैधता को आगे बढ़ाने या उक्त दरों पर कायम रहने के लिये अनुरोध किया गया था। जबकि निविदा के नियम एवं शर्तों अनुसार दरों की वैधता अवधि निकल चुकी थी। कृपया स्पष्ट करें.

14] जिस पार्टी को "A" कैटगरी "रद्दी कागज का अनुबंध आवंटित किया गया उसके द्वारा अनुबंध एग्रीमेंट करने से पहले कुछ शिकायतें/एतराज दर्ज कराते हुए पत्र लिखे थे। इस संदर्भ पार्टी द्वारा कितने पत्र विभाग सम्बंधित अनुभाग को लिखे.

15.] क्या निविदा दस्तावेज तथा अनुबंध एग्रीमेंट में दोनों श्रेणीयों की परिभाषा स्पष्ट की गई थी। यदि उत्तर नहीं है तो कृपया दोनों श्रेणीयों की परिभाषा क्या है जिसके आधार पर "रद्दी कागज" को दो श्रेणी/वर्ग में बांटा गया।

16] क्या पार्टी द्वारा "A" कैटगरी अनुबंध एग्रीमेंट करने से पहले अनुबंध की समयावधि एक वर्ष करने के लिये कहा था.

17.] क्या "A" कैटगरी के अनुबंधकार द्वारा सम्बंधित (रद्दी कागज)
अधिकारी पर सुविधा शुल्क/रिश्वत का आरोप लगाया गया था।

क्या कार्यवाही | जाँच हुई।

क्या विभाग द्वारा कोई संज्ञान भी लिया गया था या नहीं।

Ques. 18.) रद्दी कागज" की "A", B" तथा C" कैटगरी की क्या परिभाषा है

Ques. 19.) वर्ष 2014-2015 से पहले के अनुबंध में कितना रद्दी कागज" बिक्री किया गया तथा कितनी मात्रा के लिये निविदा आमंत्रित की थी।

Ques. 20.) इन पिछले अनुबंधों में "रद्दी कागज" की तुलाई धर्मकांटे पर की गई थी।

Ques. 21.) 2014-2015 की निविदा | अनुबंध में धर्मकांटे पर तुलाई न कराने का नियम किसने दोनों दस्तावेज में दर्ज है?

धन्यवाद

भवदीय

[signature]

19/05/15

(राजकुमार)

5264 भारत नगर

पहाड़ गंज नई दिल्ली

110055

PH. 9312405135

नोट- हे पत्र के साथ 10 रुपये का पोस्टल आर्डर नं० 21F. 271973 संलग्न है।

RTI Matter
स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत सरकार
प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54
Website: **www.deptpub.gov.in**
Email: **acop-dep@nic.in** (&) **pub.dep@nic.in**
TEL.: 2381 7823 /2381 9689 Fax: 2381 7846.

सं: ओ. एण्ड एम./20010/2015 दिनांक: 19 जून, 2015

सेवा मे,
श्री राजकुमार,
5264, भारत नगर, पहाड़ गंज ,
नई दिल्ली- 110 055

बिषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गयी सूचना के संबंध मे।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आपका पत्र जो इस बिभाग मे दिनांक 21-05-2015 को प्राप्त हुआ, के संदर्भ में मांगी गयी बिंदुवत सूचना निम्नलिखित है।

बिन्दु 1. बर्ष 2014 के आमंत्रित "निविदा फॉर्म" दस्तावेज़ के पृष्ठ सं. 10 पर अनुबंध की समयावधि मार्च 2014 से सितम्बर 2014 तक थी।

बिन्दु 2. हाँ।

बिन्दु 3. नहीं।

बिन्दु 4. एग्रीमेंट मे मात्रा का उल्लेख नहीं था क्योंकि निविदा फॉर्म मे मात्रा का उल्लेख विस्तार से किया गया था, जिसके आधार पर संबन्धित ठेकेदार ने रु॰ 3,96,000/- की निर्धारित सेक्योरिटी जमा की थी।

बिन्दु 5. हाँ।

बिन्दु 6. क्योंकि एक ही निविदा फॉर्म दोनों श्रेणी के रद्दी कागज के लिए निबिदा की गयी थी।

बिन्दु 7. निविदा नोटिस के क्रम सं. 16 के आधार पर कमेटी की अनुशंसा के मद्देनजर सक्षम अधिकारी (संयुक्त सचिव एवं नियंत्रक प्रकाशन) द्वारा 'A' व 'B' श्रेणी के अलग-अलग पार्टियों को दिया गया। इस संबंध मे बिभाग मे कोई कानूनी परामर्श सेल नहीं है। 'A' व 'B' श्रेणी के रद्दी कागज को अलग-अलग ठेकेदारों को देने का आधार संबन्धित निविदा के बिन्दु 16 मे निहित है।

बिन्दु 8. हाँ, पार्टी द्वारा एक वर्ष की समयावधि के लिए अनुरोध किया गया था किन्तु बिभाग द्वारा समयावधि निविदा दस्तावेज़ के अनुबंध मे पहले ही तय थी , यह समयावधि सक्षम अधिकारी द्वारा तय की गयी थी।

बिन्दु 9. नहीं, क्योंकि देश मे आम चुनाव (लोक सभा चुनाव) की आचार संहिता की वजह से निविदा फॉर्म के अनुबंध मे जो समयावधि (मार्च 2014 से सितम्बर 2014) थी उसे कानूनी अनुबंध से बढ़ाकर (अगस्त 2014 से फरवरी 2015) कर दी गयी थी।

बिन्दु 10. हाँ जो इस प्रकार है -

" (i.) बिभाग द्वारा जो वजन मुझे तौल के दिया है उसका हमारे द्वारा सरकारी मान्यता प्राप्त धर्मकांटे पर वजन चेक कराने पर 114 Kg कम प्राप्त हुआ है।
इसलिए हम आपको कांटे के वजन को नहीं मानते हैं। आप इसका वजन मान्यता प्राप्त धर्मकांटे पर कराएं।

(ii.) 2105 Kg माल रद्दी उठाने मे मुझे पूरा दिन लग गया। इस प्रकार अनुबंध को पूरा कर पाना असंभव है।

(iii.) मेरे द्वारा पहले ही छँटाई पर अतिरिक्त खर्चा वहन किया गया। जोकि हमारे अनुबंध मे नहीं था।

(iv.) जिस प्रकार आपके द्वारा तुलाई कि जा रही है उससे भी हमारा खर्चा बढ़ रहा है तथा रद्दी कागज कि मात्रा उचित मात्रा मे एक दिन मे नहीं उठ पा सकता।

(v.) तुलाई के लिए मै सम्पूर्ण दिन यहाँ नहीं बैठ सकता क्योंकि मेरे और भी अनुबंध/कार्य हैं। "

बिन्दु 11. निविदा दस्तावेज़ के बिन्दु संख्या 5 पर दर की वैधता 60 दिन थी परंतु संबन्धित ठेकेदार तथा प्रकाशन विभाग के बीच दिनांक 18.09.2014 को जो क़रारनामा हुआ उसमे वही दरें थी ।

बिन्दु 12. पार्टी को यह कहा गया था कि समय सीमा के अंदर अनुबंध नहीं किया गया तो EMD रद्द कर दी जाएगी ।

बिन्दु 13. नहीं, विभाग द्वारा इस संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया था, आचार संहिता के मद्देनजर निविदा के तहत आई दरें अनुबंध मे दोनों पक्षों के हस्ताक्षर होने तक विस्तारित मान ली गयी थी, इस पर किसी भी संबन्धित पार्टी द्वारा कोई भी ऐतराज नहीं जताया गया था ।

बिन्दु 14. चार पत्र।

बिन्दु 15. हाँ, निविदा फार्म में स्पष्ट थी, दोनों परिभाषा का उल्लेख उत्तर बिन्दु 18 में दिया गया है ।

बिन्दु 16. हाँ ।

बिन्दु 17. हाँ, विभाग द्वारा संज्ञान लिया गया जिसे मनगढ़ंत/झूठा/आधारहीन व सत्यता से परे पाया गया।

बिन्दु 18. श्रेणी 'ए' & 'बी' तथा 'सी' के परिभाषा इस प्रकार है।

Category "A" denotes Civil Books and Pamphlets including Gatta/covers/board cover of books.

Category "B" denotes all other waste paper including pages of books, wrapping paper, covers which have been separated or Straw Boards, Paste Boards, Pulp Boards Duplex Boards, Office records and other office waste paper etc. .

Category "C" की कोई परिभाषा नहीं है।

बिन्दु 19. वर्ष 2014-15 से पहले श्रेणी 'ए' के लिए लगभग 800 क्विंटल व श्रेणी 'बी' के लिए लगभग 200 क्विंटल रद्दी कागज़ के लिए निविदा कि गयी थी, तथा 'ए' श्रेणी का 65573 किलोग्राम व 'बी' श्रेणी का 27285 किलोग्राम रद्दी कागज़ बिक्री किया गया था ।

बिन्दु 20. नहीं ।

बिन्दु 21. नहीं ।

यदि आप उपरोक्त सूचना से सन्तुष्ट नहीं है तो प्रथम अपिलिय प्राधिकारी/ नियंत्रक प्रकाशन से निर्धारित समयावधि में अपील कर सकते है ।

भवदीय,

(जी॰ डी॰ पाण्डेय) 13/6/15

केंद्रिय लोक सूचना अधिकारी

19.06.2015

13/6/15